आज़ादी का अमृत महोत्सव

छावनी परिषद रूडकी

CANTONMENT BOARD, ROORKEE

सार्वजनिक सूचना

छावनी अधिनियम 2006 की धारा 99(1) के अन्तर्गत रूडकी छावनी के सभी सम्मानित जनता को अवगत कराना है कि वर्ष 2021–22 से सम्बन्धित सम्पत्तिकर के बिल भारत सरकार के ई–छावनी पोर्टल के माध्यम से जारी करने के उपरान्त निर्मत किये जा चुके है जिसमें अनुसार बिल भुगतान की तिथि दिनांकः 06.10.2021 निर्धरित है । यदि किसी करदाता द्वारा उपरोक्त अवधि तक भुगतान नही किया जाता है तो इस स्थिति में :–

1. डिमाण्ड नोटिस शुल्क रू 100/–प्रति नोटिस छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 100(2) के अन्तर्गत करदाता द्वारा देय होगा।
2. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 102(1) के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में भुगतान नही करने की स्थिति में अवशेष राशि पर प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करदाता द्वारा अलग से किया जाना होगा।

अतः ऐसे सभी करदाता जिनके द्वारा अपने सम्पत्ति कर का भुगतान अभी तक कार्यालय को नही किया गया है वे उपरोक्तानुसार 06.10.2021 तक अपनी–अपनी सम्पत्ति कर का भुगतान करने का कष्ट करें।

पुनः यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश बिल प्राप्त नही हो पाया है अथवा बिल में कियी प्रकार की त्रुटि अेकित हो, तो किसी भी कार्य दिवस के दिन कार्यालय से सम्पर्क करते हुए बिल प्राप्त किया जा सकता है अथवा त्रुटि को संशोधित किया जा सकता है।

जनहित में जारी।

इरफान

(इरफान हाफिज)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद्, रूड़की